न्यायालय सहायक कलक्टर सांचौर जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 77 / 2024
जीसीएमएस संख्या 2024 / 182

वादीगण

1. करसनराम पुत्र भलाराम के कायम मूकाम वारीसान–
   1 / 1 सुरेश
   1 / 2 नरपत कुमार
   1 / 3 अर्जुनराम
   1 / 4 भावेश पुत्र करसनराम
   1 / 5 मीरादेवी पत्नी करसनराम
   1 / 6 जसी
   1 / 7 केली पुत्रीया करसनराम
2. गणपतराम पुत्र भलाराम
3. बाबूलाल पुत्र भलाराम
4. रतनाराम पुत्र भलाराम
5. रमेशकुमार पुत्र भलाराम
6. सोनाराम पुत्र भलाराम
7. होथीराम पुत्र भलाराम जातियान गर्ग, निवासीगण डूंगरा का गोलिया सांचौर, तहसील सांचौर जिला जालोर (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण

1. दरगाराम पुत्र गमनाराम
2. रावाराम पुत्र गमनाराम
3. ओखी पुत्री खेताराम
4. पवन पुत्री खेताराम
5. भूराराम पुत्र खेताराम
6. भीखाराम पुत्र खेताराम
7. रमकू पुत्री खेताराम
8. कसुम्बी पत्नि तगाराम जातियान गुरु, निवासीगण डूंगरा का गोलिया–सांचौर, तहसील सांचौर, जिलां जालोर
9. कृष्णाराम पुत्र वीरा
10. डायाराम पुत्र वीरा
11. भूराराम पुत्र वीरा
12. जोगाराम पुत्र सोनाराम
13. देवाराम पुत्र सोनाराम
14. पुखराज पुत्र सोनाराम
15. बाबूलाल पुत्र सोनाराम
16. भोमाराम पुत्र सोनाराम
17. छोगी पुत्री सोनाराम
18. नोजी पुत्री सोनाराम
19. हनु पुत्री सोनाराम जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासीगण डूंगरा का गोलिया –सांचौर तहसील सांचौर, जिला जालोर
20. प्रखा पुत्र डामरा जाति कोली, निवासी भड़वल, तहसील सांचौर, जिला जालोर
21. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सांचौर (हाल नगर परिषद सांचौर)।
22. शाखा प्रबन्धक युको बैंक शाखा सांचौर, जिला जालोर
23. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा सांचौर, जिला जालोर
24. सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:06:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अन्तर्गत धारा 53, 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. वादीगण अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी एवं शंकर चौधरी।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 8 व 20 के अधिवक्ता श्री नरसीराम चौधरी।
3. प्रतिवादी संख्या 9 से 19 के अधिवक्ता श्री पुरूषोतम दवे।
4. प्रतिवादी संख्या 22 के अधिवक्ता श्री प्रकाशचन्द्र पुरोहित।

निर्णय

दिनांक– 22.01.25

1. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत किया। जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी के खेत मौजा डुंगरा का गोलिया में खसरा नम्बर 1565 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1566 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 1567 रकबा 2.93 हैक्टर, खसरा नम्बर 1571 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1572 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 1573 रकबा 8.84 हेक्टर, खसरा नम्बर 1574 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1577 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 1578 रकबा 3.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 1578/3252 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1579 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 1580 रकबा 5.06 हैक्टर, खसरा नम्बर, 1687/3381 रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 1716/3037 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 1718/3035 रकबा 0.26 हैक्टर कुल रकबा 21.44 हैक्टर जिसके संवत 2073 से 2076 की जमाबन्दी के खाता नम्बर 90 है तथा खसरा नम्बर 1576 रकबा 15.99 हेक्टर जिसके जमाबन्दीसंवत 2073 से 2076 के खाता नम्बर 91 है, इसी प्रकार सरहद मौजा डूगरा का गोलिया में खसरा नम्बर 213 रकबा 2.10 हैक्टर का स्थित है जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पैतृक सम्पति का है जिसमें 1/2 हिस्सा वादीगण का व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का है। एवं संरहद मौजा सांचौर में खसरा नम्बर 1560/3041 रकबा 0.16 का हैक्टेयर खसरा नम्बर 1560/3042 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 1561 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 1562 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 1563 रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 1564 रकबा 0.51 हैक्टर, खसरा नम्बर 1568 रकबा 0.57 हैक्टर, खसरा नम्बर 1687/3382 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 1716/3039 रकबा 0.07 हैक्टर कुल रकबा 1.74 हेक्टर जिसके जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 के खाता नम्बर 303 है, तथा खसरा नम्बर 1558 रकबा 0.03 हैक्टर के आये हुऐ है जिसके जमाबन्दी 2074 से 2077 के खाता नम्बर 94 है। जो जमाबन्दी संवत 2074 से 2077, 2073 से 2076 से स्पष्ट है।
2. वादीगण की उपरोक्त आराजी की खातेदारी मौजा डूंगरा का गोलिया की जमाबन्दी 2073 से 2076 के खाता नम्बर 90, 91 माफिक एवं मौजा सांचौर की जमाबन्दी 2074 से 2077 के खाता नम्बर 94, 303 माफिक है। खाता नम्बर 94 मे वादीगण के पिता भला का नाम दर्ज है जो फौत हो गये है जिसके वारीस वादीगण है तथा इस खाते में गमना पुत्र अमरा दर्ज है वह भी फौत हो गये है जिसके वारीसान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है जो दावे में पक्षकार है तथा वीरा पुत्र वना भी फौत हो गये है जिसके भी वारीसान रेकर्ड पर मौजूद है। सभी खातेदारान ने मौके पर बंटवाड़ा करीब 45 वर्ष पुर्व कर लिया था इसी अनुसार मौके पर अलग–अलग कास्त करते आ रहे है, मौके पर सभी खातेदारान के अपने अपने बंट में रहवासीय ढाणीया, बेरा आदि भी बने हुऐ है। मौके पर 45 वर्ष पूर्व किये गये बंटवाड़ा माफिक वादीगण व प्रतिवादीगण राजस्व रेकर्ड में भी बंटवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:55:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

करवाना चाहते है। लेकिन सभी खातेदारान एक ही समय पर उपस्थित नही हो पाते है तथा खसरा नम्बर 1567, 1573, 1576, 1578, 1580 का रकबा मौके पर स्थित भौतिक कब्जा अनुसार इन्द्राज न होकर रकबे में भिन्नता होने से उसे भौतिक कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्ती किया जाकर ही बंटवाडा किया जाना संभव है तथा प्रतिवादीगण के निवास पते भी बिना वजह परिवर्तन कर दिया है उसे दूरूस्ती किया जाना न्याय सगंत है।

3. उक्त आराजी का वास्तविक भौतिक रूप से कब्जा कास्त माफिक न कर इन खसरो के रकबे में रदोबदल कर दिया गया। जिसको मौके पर स्थित कब्जा माफिक दुरूस्त किया जाना न्याय संगत है। मौके पर भौतिक रूप से खसरा नम्बर राजस्व रेकर्ड में दर्ज रकबा निम्न प्रकार हैः–

खसरा नम्बर	राजस्व रेकर्ड में दर्ज रकबा (हैक्ट. में	मौके पर भौतिक रूप से स्थित रकबा (हैक्ट. में)
1567	2.93	2.54
1573	8.84	9.58
1576	15.99	16.58
1578	3.68	3.36
1580	5.06	4.44

4. वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 के उपरोक्त आराजी के अलावा सरहद मौजा डूंगरा का गोलिया में खसरा नम्बर 213 रकबा 2.10 हैक्टर का स्थित है जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पैतृक सम्पति का है लेकिन राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज प्रतिवादी 1 व 2 के पिता के नाम हो गया था क्योकि उस वक्त वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के परिवार का मुखिया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता गमनाराम थे तथा वादीगण के पिता भलाराम परिवार में छोटे होने से उनके नाम का इन्द्राज नही हुआ था लेकिन वाद के अवतरण संख्या 1 में वर्णित आराजी व खसरा नम्बर 213 की आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण 1 व 2 की संयुक्त पैतृक सम्पति है उक्त दोनो आराजीयात को मिलाकर ही वादीगण व प्रतिवादीगण के पुर्वजो ने 45 वर्ष पूर्व बंटवाड़ा किया था जिसके अनुसार वादीगण को खसरा नम्बर 213 के बदले में खसरा नम्बर 1576 में बंट दे दिया था उसी माफिक वादीगुण व प्रतिवादीगण का मौके पर भी कब्जा काश्त है।

5. उपरोक्त खेतो का वादीगण व प्रतिवादीगण के आपसी सहमति 'से मौके पर बंटवाड़ा किया जा चुका है तथा मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण की अपने–अपने हिस्सो में रहवासीय ढाणीया, बेरा आदि भी बने हुऐ है जो निम्न प्रकार हैः–

- वादीगण के बंट में रखे खेत निम्न प्रकार है।

खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	सरहद मौजा
1571	0.01	डुगरा का गोलिया
1572	0.03	
1574	0.01	
1573 मौके पर स्थित रकबा	9.58	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:55:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

1576 कुल रकबा 16.58 हेक्ट. में से	4.44	
कुल रकबा	14.07	

वादीगण के बंट के रकबे को नक्शा परिशिष्ट 'अ' में लाल रंग से दर्शाया है।

- प्रतिवादी संख्या 1 दरगाराम के बंट में रखी गई आराजी खसरा नम्बर 1576 मौके पर स्थित रकबा 16.58 हैक्टर मे से रकबा 4.59 हैक्टर सरहद मौजा डूंगरा का गोलिया व उक्त आराजी के अलावा मौजा डुंगरा का गोलिया का खसरा नम्बर 213 रकबा 2.10 हैक्टर मे से 1/2 हिस्सा रखा है प्रतिवादी दरगाराम के बंट की आराजी को नज़री नक्शा परिशिष्ट 'अ' में आसमानी रंग से दर्शाया है।
- प्रतिवादी संख्या 2 सवाराम के बंट में रखी गई आराजी खसरा नम्बर 1576 मौके पर स्थित रकबा 16.58 हैक्टर मे से 6.07 हैक्टर डूंगरा का गोलिया व उक्त आराजी के अलावा खसरा नम्बर 213 रकबा 2.10 हैक्टर मे से 1/2 हिस्सा रखा है प्रतिवादी सवाराम के बंट की की आराजी को नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में काले रंग से दर्शाया है।
- प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 के बंट में रखे गये खेत निम्न प्रकार है:–

खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	सरहद मौजा
1558	0.03	सांचौर
1561	0.02	–
1562	0.18	–
1567 मौके पर स्थित रकबा	2.54	डुगरा का गोलिया
1568	0.57	सांचौर
1560/3042	0.04	–
1716/3039	0.07	–
1560/3041	0.16	–

प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 के बंट की भूमि को नक्शा परिशिष्ट 'अ' में पीले रंग से दर्शाया है।

- प्रतिवादी संख्या 9 ता 19 के बंट में रखे गये खेत निम्न प्रकार है:–

खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	सरहद मौजा
1565	0.01	डुंगरा का गोलिया
1577	0.05	–
1578 मौके पर स्थित रकबा	3.36	–
1579	0.03	–

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:55:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

1580	4.44	–
1578 / 3252	0.01	–
1563	0.01	सांचौर
1564	0.51	–
1566	0.26	डुगरा का गोलिया
1718 / 3035	0.26	–
1716 / 3037	0.05	–
1687 / 3382	0.18	–
कुल रकबा	9.17	

प्रतिवादी संख्या 9 ता 19 के बंट की भूमि को नक्शा परिशिष्ट 'अ' में हरे रंग से दर्शाया है।

- प्रतिवादी संख्या 20 के बंट में खसरा नम्बर 1576 मौके पर स्थित रकबा 16.58 हैक्टर मे से रकबा 0.83 हैक्टर जिनको नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में केसरिया रंग से दर्शाया है। प्रतिवादी संख्या 20 के नाम से दो 'बार अलग– अलग खरीद की हुई है लेकिन नामान्तरकरण भरते समय प्रखा पुत्र डामरा के स्थान पर प्रभा पुत्र डामरा लिख दिया है जो खरीद दस्तावेज अनुसार शुद्ध किया जाना आवश्यक है।
- प्रतिवादी संख्या 21 के बंट में खसरा नम्बर1576 मौके पर स्थित रकबा 16.58 हैक्टर मे रकबा 0.65 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1687 / 3381 रकबा 0.21 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 21 के बंट की आराजी को नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में बैंगनी रंग से दर्शाया है।

6. उपरोक्त माफिक मौके पर बटवाड़ा किया जा चुका है तथा इसी माफिक मौके पर अलग–अलग कब्जा कास्त है। उपरोक्त माफिक वादीगण व प्रतिवादीगण ने बंटवाड़ा करीब 45 वर्ष पूर्व आपसी सहमति से कर दिया था, तथा मौके पर भी इसी माफिक कब्जा कास्त है तथा इसी माफिक मौके पर माठे बनी हुई है। तथा इसी माफिक मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण की रहवासीय ढाणीया भी बनी हुई है जिसके अनुसार बंटवाड़ा किये जाने वाद प्रस्तुत है।
7. कि विनायवाद अभी दिनांक 10.07.2024 को उस वक्त पैदा हुआ जब वादीगण ने प्रतिवादीगण को उपरोक्त माफिक रेकर्ड दुरुस्ति करवाकर सहमति से 45 वर्ष पूर्व हुए बंटवाडे के ब्यान एक–दूसरे के पक्ष में कर बंटवाडा करो तब प्रतिवादीगण सभी एक साथ सहमत न होकर एक दुसरे पर बात थोपने लगे। तब विनायवाद बमुकाम डूंगरा का गोलिया व सांचौर पैदा हुआ मुखासमात तारीख दावा से पेश है।
8. वादीगण की वाद में इस्तदुआ है कि वादग्रस्त आराजी का बंटवाड़ा वादपत्र में वर्णितानुसार बंटवाड़ा करीब 45 वर्ष पुर्व कर दिया हुआ होने से खातेदारी हको की उद्घोषणा व बंटवाडे की डिकी इसी माफिक, जारी की जावें। प्रतिवादीगण 3 ता 19 सभी निवासीगण डुंगरा का गोलिया सांचौर के निवासीगण है, लेकिन खसरा नम्बर 1576 में भुल से साकिन आहोर लिख दिया जिसको पुर्ववत साकिन डुंगरा का गोलिया सांचौर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:05:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

लिखे जाने बाबत आदेश तहसीलदार सांचौर को दिया जावे। प्रतिवादी संख्या 20 का नाम जमाबन्दी में प्रभा पुत्र डामरा भूल से लिखा है जिसको वैचान दस्तावेज अनुसार दुरुस्त किया जावे।

5. वादीयागण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 21 व 23 की ओर बाद तामिल समन कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

8. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जरिये अधिवक्ताजवाब पेश किया गया। जिनमें वादपत्र के तथ्यों व वादीगण की इस्तदुआ को स्वीकार करते हुए कथन किया कि वाके सरहद मौजा डूंगरा का गोलिया के खसरा नम्बर 213 रकबा 2.10 हैक्टर प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के पिता गमनाराम के नाम इन्द्राज हुई थी। जबकि उक्त भूमि में वादीगण का हिस्सा भी 1/2 था। अब उक्त बंटवाडे में खसरा नम्बर 213 रकबा 2.10 हैक्टर भूमि पुरी की पुरी भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के बंट में रखी गई है। उक्त भूमि में वादीगण का हिस्सा होने से प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने खसरा नम्बर 1576 में से अपने अपने हिस्से में से 3–3 बीघा अर्थात्त कुल 06 बीघा भूमि वादीगण को उक्त बंटवाडे में अधिक दी गई है। वादीगण द्वारा खसरा नम्बर 213 में से हिस्सा नहीं लेने पर इनको खसरा नम्बर 1576 में 06 बीघा भूमि अधिक बंट में देकर भूमि का समायोजन किया गया है। जिससे वादीगण अथवा वादीगण के वारिसदार भविष्य में इस बाबत किसी प्रकार का उजर एतराज नहीं कर सकेगे तथा वादीगण खसरा नम्बर 213 में कभी भी अपना हक नहीं जता सकेंगे। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 के बंट में वाके सरहद मौजा डूंगरा का मोलिया के खसरा नम्बर 1576 रकया 16.58 हैक्टर भूमि में से 6.07 हैक्टर भूमि बंट में रखी गई है। इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 02 को सरहद मौजा डूंगरा का गोलिया खसरा नम्बर 213 रकबा 2.10 हैक्टेयर में से 1/2 भूमि अर्थात 1.05 हैक्टर भूमि प्रात हुई है, इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 02 के पास कुल 7.12 हैक्टर भूमि प्राप्त हुई है। प्रतिवादी संख्या 01 में खसरा नम्बर 1576 में में 0.40 हैक्टर एवं 0.43 हैक्टर कुल 0.83 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी संख्या 20 प्रखा पुत्र डामरा जाति कोली निवासी भडवल को जरिये पंजीकृत वैचान दस्तावेज के बेचान किया हुआ है। 0.43 हेक्टर भूमि वैचान होने पर पटवार हल्का द्वारा नामान्तरण भरते समय प्रखा के स्थान पर गलती से प्रभा नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित कर दिया है जबकि सही नाम प्रखा है तथा उक्त पुरी भूमि 0.83 हैक्टर प्रखा पुत्र डामरा जाति कोली निवासी भडवल की खातेदारी भूमि है। जो काबिल दुरूस्ती है।

9. प्रतिवादी संख्या 9 से 19 की ओर जरिए अधिवक्ता प्रस्तुत इकबालिया जवाब में वादपत्र व वादीगण की इस्तदुआ को स्वीकार किया गया।

10. प्रतिवादी संख्या 20 की ओर से भी जरिए अधिवक्ता इकबालिया जवाब पेश किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को स्वीकार करते हुए कथन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 20 ने वाके सरहद मौजा डूगरा का गोलिया के खसरा नम्बर 1576 में से प्रतिवादी संख्या 01 से दो बार भूमि क्रय की थी, प्रथम बार 0.40 हैक्टर एवं द्वितीय बार 0.43 हैक्टर कुल 0.83 हैक्टर भूमि क्रय की थी। द्वितीय बार जब भूमि क्रय की तब पटवारी हल्का द्वारा माफिक बैचान दस्तावेज के उक्त बैचान भूमि का नामान्तरण भरने से उसमें त्रुटि रह गई, प्रतिवादी संख्या 20 का नाम प्रखा के स्थान पर प्रभा अंकित कर दिया गया है जो गलत है। जबकि सही नाम प्रखा है। जिसको माफिक वैचान दस्तावेज दुरूस्त किया जाना न्याय संगत है।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 1?:?5:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

11. उभयपक्ष अधिवक्ताओं के निवेदन पर उभयपक्ष के विद्वांन अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वादीगण की इस्तदुआ अनुसार रेकर्ड दूरूस्ती कर बंटवाडा करने का निवेदन किया गया।

प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा इकबालिया जवाब के कथनों में वादपत्र के अनुसार पूर्व में किये गए बंटवाडा व वादीगण की इस्तदुआ अनुसार रेकर्ड दुरूस्ती कर बंटवाडा करने का निवेदन किया गया।

12. पत्रावली में प्रस्तुत वादपत्र व इकबालिया जवाब के तथ्य , प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया एवं दोनों पक्षों के विद्वांन अधिवक्ताओं के बहस तथ्यों पर मनन करवादीगण की वादपत्र में रेकर्ड दुरूस्ती व बंटवाडा वादीगण की इस्तदुआ अनुसार किया जाना न्यायसगंत प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर वाद में निम्नानुसार रेकर्ड दूरूस्ती की जाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 21 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

- वादीगण के बंट में प्राप्त खसरा व रकबा निम्न प्रकार है।

खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	सरहद मौजा
1571	0.01	डुगरा का गोलिया
1572	0.03	
1574	0.01	
1573 मौके पर स्थित कब्जा	9.58	
1576 कुल रकबा 16.58 हैक्ट. में से	4.44	
कुल रकबा	14.07	

वादीगण के बंट के रकबे को नक्शा परिशिष्ट 'अ' में लाल रंग से दर्शाया है।

प्रतिवादी संख्या 1 दरगाराम के बंट में रखी गई आराजी खसरा नम्बर 1576 मौके पर स्थित रकबा 16.58 हैक्टर मे से रकबा 4.59 हैक्टर सरहद मौजा डूंगरा का गोलिया रखा है प्रतिवादी दरगाराम के बंट की आराजी को नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में आसमानी रंग से दर्शाया है।

प्रतिवादी संख्या 2 सवाराम के बंट में रखी गई आराजी खसरा नम्बर 1576 मौके पर स्थित रकबा 16.58 हैक्टर मे से 6.07 हैक्टर डूंगरा का गोलिया रखा है प्रतिवादी सवाराम के बंट की की आराजी को नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में काले रंग से दर्शाया है।

- प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 के बंट में रखे गये खेत निम्न प्रकार है:—

खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	सरहद मौजा
1558	0.03	डुंगरा का गोलिया
1561	0.02	
1562	0.18	
1567 मौके पर स्थित रकबा	2.54	
1568	0.57	
1560 / 3042	0.04	
1716 / 3039	0.07	
1560 / 3041	0.16	
कुल रकबा	3.61	

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:55:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 के बंट की भूमि को नक्शा परिशिष्ट 'अ' में पीले रंग से दर्शाया है।

- प्रतिवादी संख्या 9 ता 19 के बंट में रखे गये खेत निम्न प्रकार है:–

खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	सरहद मौजा
1565	0.01	डुंगरा का गोलिया
1577	0.05	–
1578 मौके पर स्थित रकबा	3.36	–
1579	0.03	–
1580	4.44	–
1578/3252	0.01	–
1563	0.01	सांचौर
1564	0.51	–
1566	0.26	डुंगरा का गोलिया
1718/3035	0.26	–
1716/3037	0.05	–
1687/3382	0.18	सांचौर
कुल रकबा	9.17	

प्रतिवादी संख्या 9 ता 19 के बंट की भूमि को नक्शा परिशिष्ट 'अ' में हरे रंग से दर्शाया है।

- प्रतिवादी संख्या 20 के बंट में खसरा नम्बर 1576 मौके पर स्थित रकबा 16.58 हैक्टर मे सेरकबा 0.83 हैक्टर जिनको नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में केसरिया रंग से दर्शाया है। प्रतिवादी संख्या 20 के नाम से दो 'बार अलग– अलग खरीद की हुई है लेकिन नामान्तरकरण भरते समयप्रखा पुत्र डामरा के स्थान पर प्रभा पुत्र डामरा लिख दिया है जो खरीद दस्तावेज अनुसार शुद्ध किये जाने का ओदश दिया जाता है।
- प्रतिवादी संख्या 21 के बंट में मौजा डूंगरा का गोलिया के खसरा नम्बर 1576 मौके पर स्थित रकबा 16.58 हैक्टर मे रकबा 0.65 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1687/3381 रकबा 0.21 हैक्टेयर जिसको प्रतिवादी संख्या 21 के बंट की आराजी को नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में बैंगनी रंग से दर्शाया है।
- प्रतिवादीगण सख्या 3 से 19 सभी निवासीगण सांचौर के होने से इनका निवास आहोर से सांचौर दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07
Reason: Selfattested

13. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 21 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद व दुरूस्ती करने हेतु तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 21 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलेक्टर
सांचौर जिला–जालोर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

निर्णय आज दिनांक 22.1.25 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से सरे इजलास सुनाया

सहायक कलेक्टर
सांचौर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:25:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner